TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 11TH FEBRUARY, 2000

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
****

New Delhi, dated the 11th February, 2000

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O. 698(E) dated the 3rd October, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 2 Construction of building, purchase of equipments and running of school for vocational training/rehabilitation of hearing handicapped children at Adipur, Kutch, Gujarat by Mata Lachmi Rotary Charitable Society, Station Road, Adipur, Kutch-370205, Gujarat, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-99.

And whereas by notification number S.O. 17(E) dated 4th January, 2000, the estimated cost was enhanced from Rs.19.00 lakhs plus a corpus fund of Rs.15.00 lakhs to Rs.38.82 lakhs (including a corpus fund of Rs.15.00 lakhs).

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction of building, purchase of equipments and running of school for vocational training/rehabilitation of hearing handicapped children at Adipur, Kutch, Gujarat, which is being carried out by Mata Lachmi Rotary Charitable Society, Station Road, Adipur, Kutch-370205, Gujarat, at the estimated cost of rupees thirty eight lakhs eighty two thousand only, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with assessment year 2001-2002.

(POMELA B. PRASAD)
Director(National Committee)

No. 11235

F.No. NC-136/99

भारत के राजपत्र असाधारण भाग- II खण्ड 3, उपखण्ड (II) में
दिनांक......11.... फरवरी, 2000 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2000

अधिसूचना

सां0आ0...... (अ0) -जबकि आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 3 अक्तूबर, 1997 को जारी की गई अधिसूचना सं0 सां आ0 698 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने माता लक्ष्मी रोटरी चैरिटेबल सोसायटी, स्टेशन रोड, आदिपुर, कच्छ, गुजरात-370205 द्वारा गुजरात कच्छ के आदिपुर में भवन निर्माण, उपकरणों की खरीद, बधिर बच्चो के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल का संचालन/पुर्नवास को कर निर्धारण वर्ष 1998-99 से आरम्भ होने वाले तीन कर निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 2 पर विनिर्दिष्ट किया था।

और जबकि दिनांक 4 जनवरी, 2000 को जारी अधिसूचना सं0 सां0आ0 17 (अ0) द्वारा अनुमानित लागत 15 लाख रू0 की कार्पस निधी सहित 19.00 लाख रू0 से 38.82 लाख रू0 (15 लाख रू0 की कार्पस निधि सहित) बढ़ा दी गई थी।

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है,.

और जबकि राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम 5 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की थी ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ख के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माता लक्ष्मी रोटरी चैरिटेबल सोसायटी, स्टेशन रोड, आदिपुर कच्छ-370205, गुजरात द्वारा गुजरात कच्छ के आदिपुर में भवन निर्माण, उपकरणों की खरीद, बधिर बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल के संचालन/पुर्नवास की स्कीम अथवा परियोजना को अड़तीस लाख बयासी हजार रूपये की अनुमानित लागत पर कर निर्धारण वर्ष 2001 -2002 से आरंभ होने वाले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है।

(पोमिला बी0 प्रसाद)
निदेशक (रा0स0)

सं0 11235
फा0 सं0 एन0सी0-136/99